

दैनिक

रोकथोक लेखनी

(R)

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुंबई वासियों को लगा झटका!

MMRTA ने मुंबई एयरपोर्ट प्रीपेड टैक्सी किराए में की बढ़ोतरी



मुंबई : मुंबई वासियों को महंगाई का एक और झटका लगा है. दरअसल, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनलों से चलने वाली प्रीपेड काली और पीली टैक्सियों के किराओं में बढ़ोतरी कर दी गई है. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने फैसला किया है कि इंटरनेशनल टर्मिनल से 6 किमी तक का संशोधित न्यूनतम किराया 140 रुपये होगा, जबकि डोमेस्टिक टर्मिनल से 4 किमी तक का किराया 93 रुपये होगा.

रिपोर्टों के मुताबिक, एमएमआरटीए ने काली और पीली टैक्सियों और ऑटो में किराए में वृद्धि को मंजूरी दी. ये फैसले 4 सदस्यीय

खट्टा पैनल के फामूलें के अनुसार किए गए. खट्टा पैनल ने 12 किलोमीटर तक के टैक्सी चालकों के लिए 25 फीसदी और 4 किलोमीटर तक के लिए 20 फीसदी इंसेंटिव का सुझाव दिया था. अभी तक इंटरनेशनल टर्मिनल से न्यूनतम किराया 127 रुपये था और घरेलू टर्मिनल से 85 रुपये था.

2,000 बसों के लिए स्टेज कैरिज परमिट को भी मंजूरी

किराया वृद्धि पर निर्णय के साथ, एमएमआरटीए ने 2,000 बसों के लिए स्टेज कैरिज परमिट को भी मंजूरी दे दी है. इससे बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड ट्रांसपोर्ट (इएल्ट) को अधिक बसें संचालित करने और बेहतर सेवाएं प्रदान करने का मौका मिलेगा.

92 नई टैक्सी और ऑटोरिक्षा स्टैंड को भी मंजूरी...

अथॉरिटी ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में 92 नई टैक्सी और ऑटोरिक्षा स्टैंड को भी मंजूरी दी. इसमें 73 ऑटोरिक्षा स्टैंड, 9 टैक्सी स्टैंड, 7 शेयर ऑटोरिक्षा स्टैंड और 3 शेयर टैक्सी स्टैंड शामिल हैं. सितंबर में भी किराए में हुई थी बढ़ोतरी- सितंबर में एमएमआरटीए ने काली और पीली टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने के लिए न्यूनतम किराए में क्रमशः 3 रुपये और 2 रुपये की बढ़ोतरी की थी. अथॉरिटी ने काली और पीली टैक्सियों में 1.5 किमी की दूरी के लिए न्यूनतम किराया बढ़ाकर 28 रुपये और ऑटो रिक्शा में समान दूरी के लिए 23 रुपये कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!



पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बता दें कि शुक्रवार (11 नवंबर) को देश की सर्वोच्च अदालत ने राजीव गांधी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश सुनाते हुए साफ किया कि अगर इन सभी दोषियों के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है, तो फिर इन्हें रिहा

कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल ने लंबे समय से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, ऐसे में हम कदम उठा रहे हैं। जिन लोगों को जेल से रिहा करने के आदेश हुए वे हैं- नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस। जबकि इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट पेरारिवलन को पहले ही रिहा कर चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जेल में अच्छे चाल-चलन के चलते पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। यह

राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों को जेल से रिहा करने का दिया आदेश...

आदेश जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं।

रिहाई के बाद नलिनी बोली- पिछले 32 साल संघर्ष के

जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने एक टीवी चैनल से बात की। उन्होंने कहा- मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं पिछले 32 सालों से जेल में बंद थी और ये मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरा समर्थन किया। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूँ।

सीबीआई ने अदालत में अनिल देशमुख की

जमानत याचिका का किया विरोध...!

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और षडयंत्र के गंभीर आरोप हैं। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा कि अपराध में उनकी संलिप्तता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने देशमुख की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया। देशमुख को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। पहले, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार



किया था। पिछले महीने सीबीआई मामले में विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने से इनकार करने के बाद देशमुख ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने देशमुख को पिछले महीने ईडी मामले में जमानत दे दी थी। शुक्रवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ के समक्ष जमानत याचिका का उल्लेख किया गया। हालांकि, न्यायमूर्ति डांगरे ने बिना कोई कारण बताए इससे खुद को अलग कर लिया। अब जमानत याचिका अदालत की किसी अन्य एकल पीठ के समक्ष रखी जाएगी।

सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक

मुकेश कुमार द्वारा दायर एजेंसी के हलफनामे में कहा गया है कि आरोप पत्र के साथ संलग्न किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य अपराधों में आवेदक (देशमुख) की संलिप्तता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। एजेंसी ने कहा कि आवेदक के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और आपराधिक षडयंत्र के गंभीर आरोप हैं। एजेंसी ने जमानत याचिका में देशमुख की इस दलील का भी विरोध किया कि एक दाम्गी पुलिसकर्मी (सचिन वाजे) द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि सचिन वाजे शुरू में इस मामले में एक आरोपी थे और उन्हें माफी दे दी गई है और इसलिए, अब वह अभियोजन पक्ष के गवाह हैं।

मुंबई हवाई अड्डे पर 35 करोड़ की हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

मुंबई : राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने शुक्रवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक यात्री को 35 करोड़ रुपये कीमत की 4.98 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि डीआरआई को सूचना मिली थी कि एक यात्री देश में मादक पदार्थ की एक खेप की तस्करी कर रहा है, जिसके बाद अधिकारियों ने हवाईअड्डे पर निगरानी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि नैरोबी (केन्या) से मुंबई आए एक व्यक्ति को संदिह के आधार पर तब रोका गया, जब उसने ग्रीन चैनल पार किया। अधिकारी ने कहा कि उसके सामान की तलाशी लेने पर



अधिकारियों ने एक ट्रॉली बैग में 4.98 किलोग्राम सफेद रंग का पाउडर बरामद किया और परीक्षण करने पर हेरोइन की उपस्थिति पाई गई। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पदार्थ को ट्रॉली बैग में बनाई गई झूठी गुहा के नीचे छुपाकर काले पॉलीथिन बैग में रखा गया था, जिसके कारण दवा का पता लगाना मुश्किल था। अधिकारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पता लगाने और उसे निष्प्रभावी करने के लिए मामले में आगे की जांच जारी है।



संपादकीय / लेख



फैसल शेख

(प्रधान संपादक)

**उदारता से
न्याय...!**

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल छह अपराधियों को तीस साल से ज्यादा जेल में रखने के बाद अंततः रिहा कर दिया गया है। रिहाई की कवायद लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि तमिल राजनीति में भी रिहाई के पक्ष में कमोबेश माहौल लगातार बना हुआ था। अपराधी भी वर्षों से सजा भुगतने के बाद लगातार माफ़ी मांगते आ रहे थे। खास बात यह है कि इन अपराधियों ने जेल में अपनी जिंदगी को बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि सकारात्मक रूप से अपने विकास में लगे रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनसे मिले थे, माफ़ी के पक्ष में अपनी भावना प्रकट की थी। जघन्य अपराध के बावजूद अनुकूलता ऐसे बनी कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आर पी रविचंद्रन समेत छह दोषियों को रिहा करने का आदेश सुना दिया। तमिलनाडु सरकार ने भी अपनी ओर से कोई देरी नहीं की। बड़ी राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही नलिनी श्रीहरन ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ।

इस रिहाई के बाद लोगों की पुरानी यादें ताजा हो आईं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री रह चुके राजीव गांधी की हत्या के लिए धनु नाम की आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट में राजीव गांधी समेत 15 लोगों की जान गई थी। उस घटना ने देश को रुला दिया था, लेकिन वक्त ऐसा मरहम है कि बहुत गहरे घावों को भी भर जाता है। इस हमले की जांच के बाद सात लोगों को दोषी पाया गया था। जिसमें एक पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश दिए थे। इसके बाद बाकी दोषियों की रिहाई की बुनियाद मजबूत हुई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि एक साजायाफ्ता पेरारिवलन के मामले में किया गया फैसला बाकी दोषियों पर भी लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला पूरी तरह से विधिसम्मत ही नहीं, बल्कि उदार न्याय व्यवस्था का एक नया अध्याय बन गया है। यह फैसला एक तरह से प्रयोग भी है। जो लोग अच्छे आचरण के आधार पर छूटे हैं, उन्हें आगे भी अपने आचरण को भारतीय कानून-व्यवस्था के अनुरूप रखना होगा। यह भारतीय व्यवस्था की उदारता है कि बहुत जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को भी रिहा कर दिया गया है। बाकी देशों में भी लोग भारत में हुए इस फैसले पर गौर करेंगे। आमतौर पर जहां ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, वहां दोषियों को आजीवन जेल से बाहर नहीं आने दिया जाता है। बहरहाल, यह भी गौर किया गया होगा कि तमिल आतंकी संगठन लिट्टे भी अपनी जमीन से उखड़ चुका है। लिट्टे अगर आज सक्रिय रहता, तो शायद भारत में यह रिहाई मुमकिन नहीं होती। लिट्टे निरपराध लोगों का खून नहीं बहा रहा है, इसलिए नलिनी इत्यादि के प्रति सहानुभूति को जगह मिल गई है। हालांकि, अदालतों को सावधान रहना होगा कि यह फैसला अपवाद ही रहे, नजीर न बन जाए।

editor@rokthoklekhaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

संजय राउत फिर से जाएंगे जेल?

उद्धव ठाकरे ने जताई आशंका...



मुंबई : शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पत्राचौल घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट से जमानत लेकर जेल से रिहा हुए। इसके बाद आज (10 नवंबर, गुरुवार) वे उद्धव ठाकरे से मिलने उनके बांद्रा स्थित निवास मातोश्री पहुंचे। यहां उद्धव ठाकरे ने उनसे मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी जैसी जांच एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम करती हैं। ऐसी सुपारी लेकर काम करने वाली एजेंसी को क्यों ना बंद किया जाए। उन्होंने संजय राउत की फिर गिरफ्तारी की भी

आशंका जताई। उद्धव ठाकरे ने कहा, 'यह जो सरकार है राज्य की ही नहीं केंद्र की भी। ऐसा लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इनके पालतू जानवर हो गए हैं। ये जिनके पीछे जाने को कहते हैं, एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। अगर ये एजेंसियां केंद्र से सुपारी लेकर ही काम कर रही हैं तो क्यों ना इन्हें बंद कर दिया जाए।' **संजय राउत को फिर जेल भेजने की कोशिश की जाएगी- उद्धव** उद्धव ठाकरे ने कहा, 'संजय राउत शिवसेना के नेता हैं। पर इससे ज्यादा वे मेरे करीबी मित्र हैं। जेल का वक्त उनके लिए जिस तरह मुश्किलों भरा था, वैसा हमारे लिए

**ऑरकेस्ट्रा बार में
छापेमारी में 23 गिरफ्तार!**

13 महिलाओं को बचाया गया



मुंबई : मुंबई के पूर्वी उपनगरीय क्षेत्र घाटकोपर में कथित रूप से अवैध तरीके से चलाये जा रहे ऑर्केस्ट्रा बार में छापेमारी कर पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है और 13 महिलाओं को वहां से बचा लिया है। पुलिस ने शुरुवार को यहां इसकी जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के सामाजिक सेवा शाखा ने बार में बृहस्पतिवार की रात करीब सवा ग्यारह बजे छापेमारी की जो पंत नगर में 90 फुट रोड पर स्थित है। उन्होंने बताया कि महिलायें

कथित रूप से बार में डांस रही थीं। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के बाद वहां से कम से कम 13 महिलाओं को बचा लिया गया जबकि 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किये गये लोगों में प्रबंधक, कैशियर, सात वेंटर और 13 ग्राहक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारतीय दंड विधान समेत अन्य अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मौके से छापेमारी के दौरान कंप्यूटर उपकरण एवं 35,760 रुपये नकद बरामद किया है।

**चैरिटी होम में
महिला से छेड़छाड़,
पादरी गिरफ्तार**



कोलकाता : कोलकाता में पुलिस ने एक चैरिटी होम चलाने वाले पादरी को कथित रूप से महिलाकर्मों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। पादरी के साथ ही पुलिस ने चैरिटी होम की दो महिला कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। महिला की शिकायत के बाद हरिदेवपुर थाने की पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। चैरिटी होम की एक 23 वर्षीय महिलाकर्मि ने पादरी अरुण जोसेफ राज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान लक्ष्मी और रजिया बताया गया है। पीड़ित महिला ने शिकायत में कहा, हरिदेवपुर थाने के आनंदपल्ली में स्थित चैरिटी होम में लंबे समय तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसने दो अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थीं।

**महाराष्ट्र पुलिस ने कांस्टेबल
के पद पर निकाली बंपर भर्ती,**

18331 पद के लिए इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के युवाओं के लिए पुलिस में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। यहां कांस्टेबल के पद पर बंपर वैकेंसी निकली हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से महाराष्ट्र पुलिस में कुल 18331 पद भरे जाएंगे। इनमें से कुछ पद ड्राइवर और एसआरपीएफ पुलिस कांस्टेबल के भी हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। वे कैडिडेट्स जो इन पदों के लिए अप्लाई करने के इच्छुक हों, वे महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ दिनों पहले इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और हाल ही में (09 नवंबर 2022 से) इनके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये भी जान लें कि महाराष्ट्र पुलिस के इन पदों पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 है। महाराष्ट्र पुलिस के इन पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि कैडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड



से 12वीं पास की हो। साथ ही ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग का अनुभव होना भी जरूरी है। इनके लिए आयु सीमा 18 से 28 साल तक की गई है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। इन पदों पर कैडिडेट्स का सेलेक्शन लिखित परीक्षा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट्स के माध्यम से होगा। डिटेल्स जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यहां होमपेज पर खुद को रजिस्टर करें। अब लॉगिन डिटेल्स जैसे यूजरनेम और पासवर्ड डालें और एप्लीकेशन भरकर सबमिट कर दें। अब फॉर्म डाउनलोड कर लें और एक कॉपी निकालकर अपने पास रख लें।



“इसे नहीं, प्यार और भाईचारा फैलाएं...”
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में युवाओं को बताए देशभक्ति के मायने



नांदेड़: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को देश के युवाओं को मैसेज देते हुए कहा कि किसी से डरिए मत और अपने दिलों से नफरत मिटाकर देश के लिए काम करें। जब उनसे देश के युवाओं के लिए संदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘डरो मत’। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह बात ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। साथ ही राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि मैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और ना ही आरएसएस के बारे में बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी ने कहा, ‘जिंदगी में किसी चीज से मत

डरिए। अगर आप डरेंगे नहीं तो किसी से नफरत भी नहीं करेंगे। अपने दिल से नफरत को मिटा दीजिए। देश के लिए काम कीजिए। देश में प्यार और भाईचारा फैलाइए, नफरत नहीं।’ साथ ही कहा, ‘देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती है। एक तरफ झंडे को सैल्यूट मारा। दूसरी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है। ये देश को कमजोर करने का काम है।’

इसके अलावा, कांग्रेस नेता ने 2016 में नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा राहुल गांधी ने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा भाजपा की ‘डर और नफरत फैलाने’ की नीतियों के खिलाफ है। भारत जोड़ो यात्रा, 8 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जनवरी 2023 में श्रीनगर में खत्म होगी। यह यात्रा 3,750 किमी लंबी होगी। सोमवार रात को भारत जोड़ो यात्रा ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया।

अफजल खान की कब्र के अवैध निर्माण पर चला महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर

पुणे: बीजापुर के आदिल शाही वंश के कमांडर अफजल खान के मकबरे को लेकर सियासत एक बार फिर गरमाई है। सरकारी जमीन पर बने कथित अनधिकृत ढांचे पर सरकार का बुलडोजर चला। वहीं ढांचे को गिराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस दलील का संज्ञान लिया कि अफजल खान के मकबरे को इस आधार पर ध्वस्त किया जा रहा है कि यह वन भूमि पर बने



होने के कारण अवैध था। अफजल खान को 1659 के आसपास दफनाया गया था। कोर्ट मकबरे के आसपास अनधिकृत ढांचे को ढहाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। अफजल खान महाराष्ट्र के

सतारा जिले में प्रतापगढ़ किले के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों मारे गए थे और बाद में उनकी याद में एक मकबरा बनाया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार तड़के इसे ढहाए जाने का काम शुरू किया गया। महाराष्ट्र में सतारा जिला प्रशासन ने गुरुवार को बीजापुर के आदिल शाही वंश के सेनापति अफजल खान के मकबरे के आसपास सरकारी जमीन पर बने अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त कर दिया। अफजल खान सतारा जिले में प्रतापगढ़ किले के पास मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों

2007 में कोर्ट ने दिए थे गिराने के आदेश

फडणवीस ने कहा कि वर्ष 2007 में अदालत ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। वर्ष 2017 में ही हमने प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कुछ कानूनी समस्याएं सामने आईं। उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘शिव-प्रेमियों (शिवाजी महाराज के अनुयायियों) की ओर से (अतिक्रमण हटाने की) मांगें की गई थीं, लेकिन जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, लेकिन अतिक्रमण कभी नहीं हटाया जा सका। आज यह सभी के लिए संतोष की बात है कि पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है।’

मारा गया था। बाद में, उसकी याद में वहां एक मकबरा बनाया गया था।

थानाध्यक्ष पर कनिष्ठ अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म का आरोप



महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के जालना जिले में गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक कांस्टेबल की पत्नी से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी एक पुलिस निरीक्षक, जब उसका पति दूर था, तो उसके घर आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अक्षय शिंदे से शिकायत करने के बाद गोंडी पुलिस स्टेशन में निरीक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

मुंबई के नागपाड़ा जिलाध्यक्ष का दरभंगा के SBI में अकाउंट, कुल 7 लोगों के डिटेल भेजे...



मुंबई: देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। केंद्र सरकार ने UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसी के लिए PFI से जुड़े 7 ऐसे लोगों के नामों की लिस्ट राज्य सरकार को भेजी गई है, जिनका बैंक अकाउंट बिहार के 3 शहरों में है।

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने PFI के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए), -1967 के तहत कार्रवाई करने को कहा है। मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी एसपी चौधरी ने इसे लेकर बिहार के मुख्य सचिव को एक लेटर भेजा है। जिसमें 7 लोगों के नाम, उनके बैंक अकाउंट्स के डिटेल और पैन नंबर भी शामिल हैं।

मुंबई में व्यक्ति, दरभंगा में अकाउंट और सीतामढ़ी का पता
सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई सूची जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें एक अररिया, चार दरभंगा, एक सीतामढ़ी तो एक मुंबई का रहने वाला है। इन संदिग्धों का बैंक अकाउंट भी इन्हीं जिलों में है। लेकिन, इसमें एक चौकाने वाली भी बात है। लिस्ट में महबूब आलम का नाम है। जिसे अभी मुंबई में नागपाड़ा का PFI का जिलाध्यक्ष बताया जा रहा है।

इसका कनेक्शन सीतामढ़ी जिले से मिला है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका एक बैंक अकाउंट दरभंगा शहर में स्थित रूकब्रांच में है। जब इसकी जांच हुई तो उस पर महबूब आलम के घर का पता

सीतामढ़ी के घरवारा में लिखा हुआ मिला। अब इस कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है।

सभी DM को दिए गए कार्रवाई के निर्देश

दूसरी तरफ केंद्र सरकार से मिले डिटेल के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। राज्य के गृह विभाग के विशेष सचिव केएस अनुपम ने संबंधित जिलों के सभी DM को इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। जिसके बाद सभी संदिग्धों के बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन पर सीधे तौर पर रोक लग जाएगी। उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा।

सबसे पहले पटना पुलिस ने इस बात को सामने लाया था कि PFI देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। जिसके बाद पटना के फुलवारी शरीफ में FIR दर्ज की गई थी। जब मामला बड़ा हुआ तो आगे की जांच और कार्रवाई के लिए केस को ठकअ के हवाले कर दिया गया। फिर बिहार के साथ ही दूसरे राज्यों में भी PFI के कई ठिकानों पर NIA ने छापेमारी की थी।

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 65वां दिन, आदित्य ठाकरे लेंगे हिस्सा...!

महाराष्ट्र: राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ह्यभारत जोड़ो यात्रा का शुक्रवार को महाराष्ट्र में पांचवां दिन है। यात्रा आज शाम को हिंगोली जिला में प्रवेश करेगी जहां शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के नेता आदित्य ठाकरे इसमें हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के अनुसार, आदित्य ठाकरे राज्य विधानपरिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना के विधायक सचिन अहिर के साथ शाम करीब चार बजे पदयात्रा में शामिल होंगे।

यात्रा सात सितंबर को तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और शुक्रवार को यात्रा का 65वां दिन है। सात नवंबर की रात यात्रा पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में देगलूर पहुंची और पांच दिनों से जिले में ही है। यात्रा के दौरान नांदेड़ के अर्धपुर में पिंपलगांव महादेव के विट्टलराव देशमुख कार्यालय में रात्रि विश्राम हुआ। यात्रा शुक्रवार सुबह अर्धपुर के नांदेड़-हिंगोली रोड स्थित दाभाड़ से फिर शुरू हुई। दिन के दूसरे पहर में यात्रा चोरम्बा फाटा से शुरू होकर रात में हिंगोली पहुंचेगी।



सुबह छह बजे यात्रा शुरू होने के बाद गांधी का सड़क पर खड़े लोगों ने अभिवादन किया। कांग्रेस नेता ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और रास्ते में उनसे बात की। गांधी ने बृहस्पतिवार शाम को नांदेड़ में एक रैली को संबोधित किया था। वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और अभिनेता सुशांत सिंह मौजूद थे। गांधी 18 नवंबर को बुलढाणा जिले के शेगांव में अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस की जन संपर्क पहल भारत जोड़ो यात्रा राज्य में अपने 14 दिनों के प्रवास के दौरान 15 विधानसभा और छह संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यह 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले पांच जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।



संजय राउत ने बेहिसाब धन का लेनदेन किया, लेकिन इसे अपराध से अर्जित धन नहीं कह सकते: अदालत

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने रायगढ़ जिले में अलीबाग के पास किहिम में भूखंड खरीदने के लिए कुछ 'बेहिसाब धन का लेनदेन किया, लेकिन इसे धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आपराधिक तरीके से अर्जित धन नहीं कहा जा सकता।

विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना से संबंधित धनशोधन के एक मामले में राउत को जमानत देते हुए बुधवार को यह टिप्पणी की। राउत को इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल एक

अगस्त को गिरफ्तार किया था। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत जमानत मिलने के बाद बुधवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बेहिसाब संपत्ति रखने और उसका लेनदेन करने दोनों के विभिन्न दंडनीय कानूनों के तहत अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इसे पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपराध से अर्जित धन नहीं कहा जा सकता।

अदालत ने कहा कि संजय राउत को सह-आरोपी प्रवीण राउत से कुछ रकम मिली जैसा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोप पत्र) में आरोप लगाया गया है, हालांकि इससे आपराधिक तरीके से धन



अर्जित करने की बात साबित नहीं होती। उसने कहा कि बेहिसाब धन के बारे में यदि विवरण नहीं हो और अनुसूचित अपराध से संबंधित कोई गतिविधि नहीं हो तो उसे इस तरह पेश नहीं किया जा सकता जैसा इस मामले में ईडी ने किया। जांच एजेंसी ने दलील दी थी कि संजय राउत और उनके परिवार ने उस अवैध धन से

विदेश यात्राएं की जिसका बंदोबस्त सह-आरोपी प्रवीण राउत ने किया।

अदालत ने कहा, कुछ तथ्य भी रिकॉर्ड में हैं। इन दोनों करीबी परिवारों ने प्रासंगिक समय पर यात्रा की थी। केवल प्रवीण राउत याद नहीं होने की वजह से यात्रा टिकट से संबंधित पैसे का हिसाब नहीं दे सके, क्या इसे सीधे पीओसी (अपराध से अर्जित धन) से या किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से जोड़ा जा सकता है?

जांच एजेंसी ने दावा किया कि संजय राउत एक गाड़ी का इस्तेमाल करते थे जिसे काले धन से खरीदा गया था और यह उनके दोस्त रामजी वीरा के नाम पर है। हालांकि, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस

तरह का निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है।

अदालत ने कहा, उनके करीबी पारिवारिक रिश्तों को देखें तो अगर वह रामजी वीरा के नाम पर कोई गाड़ी खरीदते हैं और उसे संजय राउत के लिए दस्तावेजों के साथ इस्तेमाल की अनुमति देते हैं तो क्या सीधे-सीधे कहा जा सकता है कि यह किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ा अपराध से अर्जित धन है। ईडी का मामला स्वप्ना पाटकर और चंदन केलेकर जैसे गवाहों के बयान पर आधारित है। बचाव पक्ष की दलील पर जवाब देते हुए जांच एजेंसी ने दावा किया कि जमानत के स्तर पर गवाहों की विश्वसनीयता को नहीं देखा जा सकता।

बोरीवली पूर्व स्थित नेशनल पार्क में आणी सिंह की जोड़ी



मुंबई : बोरीवली पूर्व स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क में नवंबर माह के अंत तक गुजरात से सिंह की जोड़ी आणी। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की पिछले दिनों गुजरात के वन मंत्री जगदीश विश्वकर्मा से बारे में बातचीत हुई थी। इस दौरान गुजरात से सिंह की जोड़ी लाने पर सहमति बनी थी। केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण की अनुमति लेने की वजह से यह प्रक्रिया रूकी हुई थी। अब अनुमति मिलने के बाद गुजरात स्थित शक्करबाग प्राणी संग्रहालय से एशियाई सिंह की जोड़ी (एक नर एक मादा) नवंबर अंत में मुंबई आणी। संजय गांधी नेशनल पार्क में 12 हेक्टेयर के बाड क्षेत्र में वर्ष 1975-76 में लायन सफारी शुरू की गई थी।

ठाणे महानगरपालिका के इस विभाग के कर्मचारी क्यों दे रहे हैं धरना



ठाणे : ठाणे महानगरपालिका के फाइलेरिया विभाग में ठेके के आधार पर 2016 से कार्यरत कर्मियों ने फाइलेरिया विभाग के खारटन रोड स्थित कार्यालय के बाहर धरना देते विरोध प्रदर्शन किया। ठाणे जिला इंटक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन शिंदे और सगम डोंगरे और वार्ड कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण खैरालिया ने इस आंदोलन में हिस्सा लेकर अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस अवसर पर इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने वाले कर्मचारी मुकेश लाहोट ने कहा कि ठाणे महानगरपालिका के फाइलेरिया विभाग में सविदा के आधार पर हम 2016 से इस पर काम कर रहे हैं। हमने कोरोना जैसी महामारी में अपने जीवन की परवाह किए बिना दिन-रात अपनी सेवाएं दीं। हमारे कुछ साथियों को भी कोरोना जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। आपदा में भी कोकण के महाड में हुई बाढ़ त्रासदी के दौरान भी हमने महानगरपालिका

की ओर से कोकण के लोगों की मदद के लिए काम किया। जिन कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा

गया था अब उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद उन्हें अनुबंध नहीं बढ़ाया गया। 30 अप्रैल से छुट्टी दे दी गई है। जबकि कोरोना काल के लिए अब बिना किसी अनुभव के फाइलेरिया विभाग में काम पर रखा गया है लेकिन हमें अप्रैल से आज तक नहीं बुलाया गया। जिसके कारण उनकी माली हालत ठीक नहीं है और उनके परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है।

'ऊंचाई' देख अपने आंसू नहीं रोक पाए सितारे, निर्देशक और सितारों की तारीफों के बांधे पुल



सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी 'ऊंचाई' आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर और नीना गुप्ता सहित कई दिग्गज कलाकार शामिल हैं। मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जिसमें इंडस्ट्री के सितारों

ने शिरकत की थी। वहीं, अब दोस्ती की कहानी दिखाती इस फिल्म को सेलेब्स की ओर से बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। सितारे सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'कल रात ऊंचाई देखी। सर्वोत्कृष्ट राजश्री फिल्म। सूरज जी एक असाधारण निर्देशक हैं जो दर्शकों के दिलों को छूना जानते हैं और उन्होंने इस फिल्म से यह फिर से साबित किया है। बच्चन जी का अभिनय शानदार से पर है और बोमन ईरानी, अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा, नीना जी, सारिका जी भी बहुत अच्छे हैं।'

राज्य सरकार ने मनपा को सौंपे 24 ब्रिज और चार अंडर ग्राउंड सबवे

मुंबई : सड़को की खस्ता हाल से मुंबई के नागरिक पहले ही परेशान हैं। राज्य सरकार मनपा पर और बोझ डालने का काम कर रही है राज्य सरकार द्वारा निर्माण किए गए 24 ब्रिज और चार अंडर ग्राउंड सबवे की जिम्मेदारी भी मनपा पर डाल दी है इन ब्रिज और सबवे की अब देखभाल की



जिम्मेदारी मनपा पर होगी। उल्लेखनीय है कि मुंबई मनपा पर सड़को की खस्ता होने पर पहले ही हर साल मनपा की बड़ी छीछलेदार होती है। मनपा को अब एम एस आर डीसी द्वारा बनाए गए 24 ब्रिज और 4 अंडर ग्राउंड सबवे की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार ने एम एस आर डी सी हटाकर मनपा को दे दिया है राज्य में युति की सरकार के समय नितिन गडकरी द्वारा मुंबई में बनाए गए 55 ब्रिज बनाए गए थे जो सभी ब्रिज एम एस आर डी सी द्वारा निर्माण किए गए थे। मुंबई में बनी किसी भी सड़क पर गढ़ा पाए जाने पर उसका जिम्मेदार मनपा को ठहराया जाता है। पिछले काफी दिनों से यह मांग की जा रही थी कि मुंबई शहर में विभिन्न प्राधिकरण को खत्म कर विकास कार्य को पूरी जिम्मेदारी मनपा को दे देनी चाहिए मनपा भी अपने ऊपर लग रहे आरोपों को झेलते झेलते थक जाने के

बाद गुहार लगाने लगी कि मुंबई में बनी सभी सड़क और ब्रिज को उन्हे सौंप दिया जाए जिससे देखभाल की जिम्मेदारी उनकी होगी और काम में गुणवत्ता लाने में आसानी होगी। राज्य सरकार ने पिछले दिनों यह निर्णय लिया था कि मुंबई की सभी सड़को और ब्रिज सहित अंडर ग्राउंड बने सबवे की जिम्मेदारी मनपा को सौंपने का निर्णय लिया राज्य सरकार ने एम एस आर डी सी द्वारा बनाए गए 24 ब्रिज और 4 अंडर ग्राउंड सबवे की जिम्मेदारी मनपा को सौंप दी है। एम एस आर डी सी और मनपा के बीच कागजात का लेन देन हो चुका है लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष रूप से ब्रिज मनपा को नहीं सौंपा गया जिसमें एक दो दिन की प्रक्रिया है जिसके बाद मनपा को इन ब्रिज और सबवे की जिम्मेदारी होगी। इसके पहले पूर्व और पश्चिम एक्सप्रेस हाइवे की भी मनपा को जिम्मेदारी दी गई थी।